FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

लिखमाराम वगैरा बनाम अमराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० नं. 142/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/10/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/10/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
16/10/18	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण के सम्मन तामील फर्म तामील शुदा/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इसलाह पेश आगामी दिनांक 17/12/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/12/18	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण के सम्मन तामील फर्म तामील शुदा/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इसलाह हो आगामी दिनांक 05/02/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

| 05/02/19 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 व 2 की ओर से वकील श्री प्रेमाराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। तथा वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 लिखमाराम पुत्र ममाराम जाति-जाट निवासी- मध्ये का धड़ा नोसर तहसील-बायतु, PW-2- टीकमाराम पुत्र जोगाराम जाति-जाट निवासी- मध्ये का धड़ा नोसर तहसील-बायतु व स्वतंत्र गवाह PW-3 नेनाराम पुत्र डूंगाराम जाति-जाट निवासी-बायतु भोपजी तहसील-बायतु तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- ममाराम पुत्र हेमाराम जाति-जाट निवासी- मध्ये का धड़ा नोसर तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व DW-2 जोगाराम पुत्र हेमाराम जाति-जाट के शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-3 से 5 के सम्मन तामिल होकर तामिल प्राप्त। वादी वकील प्रतिवादी संख्या-3 से 5 का सम्मन तलबाना पुनः पेश करें, पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 13/02/19 को पेश हो। पुनः वादी वकील द्वारा दस्तावेजों की प्रति नकल मिसल बन्दोबस्त प्रथम खतौनी मौजा-बायतु भोपजी ख.नं.-200 व मौजा- लोलेवा ख.नं.-78 व 168 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की गई, पत्रावली नियत दिनांक 13/02/19 को पेश हो। | हुक्म 18/03/19 |

टीकमा.
लिखमाराम
ममाराम अंगूठा
जोगाराम
नेनाराम

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

13/02/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान हाजिर। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 18/03/19 को पेश हो। पुनः प्रतिवादी संख्या-3 से 5 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/04/19 को पेश हो।	
03/04/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 14/05/19 को पेश हों।	
14/05/19	वादी व प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, प्रतिवादी संख्या-3 व 4 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/06/19 को पेश हो।	
4/6/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 9/9/19 को पेश हों।	
9/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 5/11/19 को पेश हों।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप०/ पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/12/19 को पेश हो।
10/12/19	वकुलाय फरीकैन उप०/ वादी व प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई, निर्णय व डिग्री पर्चा अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 142/2018

वादीगण

1. लिखमाराम पुत्र अमराराम
2. हुकमाराम पुत्र अमराराम
3. पन्नाराम पुत्र जोगाराम
4. टीकमाराम पुत्र जोगाराम
   जातियान्–जाट, निवासीयान–अखे का धड़ा, नौसर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अमराराम पुत्र हेमाराम
2. जोगाराम पुत्र हेमाराम
   जाति जाट निवासी अखे का धड़ा, नौसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा बायतु
4. तहसीलदार, बायतु

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

दिनांक :–10/12/2019

उपस्थित :– 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा अखे का धड़ा पटवार मण्डल नोसर के खेत खसरा नम्बर 219, 220, 386/220, 403/221 रकबा क्रमशः 00.09, 00.04, 77.01, 244.17 बीघा कुल रकबा 322.11 व मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 614, 615, 647, 648, 758/649 रकबा क्रमशः 00.06, 143.13, 00.09, 16.07, 11.02 बीघा कुल रकबा 171.17 बीघा की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पूर्वज हेमाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण 1 व 2 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण 3 व 4 के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से के साथ कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि मौजा अखे का धड़ा पटवार मण्डल नोसर के खेत खसरा नम्बर 219, 220, 386/220, 403/221 रकबा क्रमशः 00.09, 00.04, 77.01, 244.17 बीघा कुल रकबा 322.11 व मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

...सरा नम्बर 614, 615, 647, 648, 758/649 रकबा कमशः 00.06, 143.13, 00.09, 16.07, 11.02 बीघा कुल रकबा 171.17 बीघा में प्रत्येक वादीगण को 1/6–1/6 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के वकील द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि मौजा अखे का धड़ा पटवार मण्डल नोसर एवं मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी में प्रत्येक वादीगण को 1/6–1/6 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं का 1/6–1/6 हिस्सा घोषित करने व सहखातेदार काश्तकार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान दी है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा हेमाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण हेमाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त भूमि मौजा अखे का धड़ा पटवार मण्डल नोसर एवं मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी में प्रत्येक वादीगण को 1/6–1/6 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा अखे का धड़ा पटवार मण्डल नोसर के खेत खसरा नम्बर 219, 220, 386/220, 403/221 रकबा क्रमशः 00.09, 00.04, 77.01, 244.17 बीघा कुल रकबा 322.11 व मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 614, 615, 647, 648, 758/649 रकबा क्रमशः 00.06, 143.13, 00.09, 16.07, 11.02 बीघा कुल रकबा 171.17 बीघा में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/6–1/6 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

अनवान्

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. लिखमाराम पुत्र अमराराम वगैरह		1. अमराराम पुत्र हेमाराम वगैरह

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–142 / 18. **निर्णय दिनांक :– 10.12.2019**

वादी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.12.2019 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अखे का धड़ा पटवार मण्डल नोसर के खेत खसरा नम्बर 219, 220, 386 / 220, 403 / 221 रकबा क्रमशः 00.09, 00.04, 77.01, 244.17 बीघा कुल रकबा 322.11 व मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 614, 615, 647, 648, 758 / 649 रकबा क्रमशः 00.06, 143.13, 00.09, 16.07, 11.02 बीघा कुल रकबा 171.17 बीघा में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1 / 6–1 / 6 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested